विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में नियमों, निर्देशों और प्रक्रियाओं के गैर-अनुपालन, ऊर्जा प्रभारों की वसूली न होने/अल्प वसूली और व्यर्थ व्यय के कारण परिहार्य भुगतान से सम्बंधित ₹ 846.91 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से अंतर्ग्रस्त 13 परिच्छेद तथा एकीकृत काशंग जल विद्युत परियोजना से सम्बन्धित एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित है।

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति

हिमाचल प्रदेश राज्य में 21 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (19 सरकारी कम्पनियां तथा दो सांविधिक निगम) तथा दो अक्रियाशील कम्पनियां हैं; जिनमें 36,071 कर्मचारी कार्यरत हैं। 31 मार्च 2017 तक 23 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश (प्रदत्त पूंजी, फ्री रिजर्व तथा दीर्घावधि ऋण) ₹ 12,657.73 करोड़ था। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल निवेश में से 99.38 *प्रतिशत* क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तथा शेष 0.62 *प्रतिशत* अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में था। इस कुल निवेश का 30.56 *प्रतिशत* प्रदत्त पूंजी में, 0.66 *प्रतिशत* फ्री रिजर्वों में तथा 68.78 *प्रतिशत* दीर्घावधि ऋणों के रूप में सम्मिलित था। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में किए निवेश का मुख्य जोर ऊर्जा क्षेत्र पर रहा; जो कि 2016-17 के दौरान किए गए कुल निवेश ₹ 12,657.73 करोड़ में ₹ 11,108.62 करोड़ (87.77 *प्रतिशत*) था। पूंजीगत व्यय, ऋणों एवं अनुदानों/सब्सिडियों पर बजटीय व्यय 2014-15 के ₹ 1,189.98 करोड़ से घटकर वर्ष 2016-17 में ₹ 755.60 करोड़ रह गया।

(परिच्छेद 1.1, 1.6, 1.7 तथा 1.8)

30 सितम्बर, 2017 तक अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की कुल बिक्री ₹ 8,344.31 करोड़ थी। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल बिक्री की प्रतिशत्ता वर्ष 2012-13 के 6.48 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 6.70 *प्रतिशत* हो गई।

(परिच्छेद 1.15)

2. एकीकृत काशंग जल विद्युत परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित द्वारा कार्यान्वित की जा रही 195 मेगावाट की स्थापित क्षमता (स्टेज-I: 65 मेगावाट, स्टेज-II एवं III: 130 मेगावाट) वाली एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 708.16 करोड़ की लागत वाली कशांग जल विद्युत परियोजना के निर्माण सम्बन्धी कार्यों का आबंटन फरवरी 2009 तथा अक्तूबर 2010 के मध्य किया गया था जो कि नवम्बर 2014 तक पूर्ण की जानी थी। मार्च 2017 तक, ₹ 1,169.75 करोड़ के व्यय के पश्चात् भी परियोजना अपूर्ण थी तथा तीन ईकाइयों में से मात्र एक ईकाई ही व्यवसायिक रूप से चालू थी क्योंकि स्टेज-II एवं III की पूर्णता में विलम्ब था। स्टेज-I में 30 महीनों की समय वृद्धि, बाधा रहित कार्य स्थल की अनुपलब्धता, स्थानीय लोगों द्वारा निर्माण कार्य रोकना, परियोजना मार्गों को रोकना, संविदाकार की त्रुटियों के कारण अधिक रिक्त को भरने हेतु अपेक्षित अतिरिक्त समय तथा प्रतिस्थापित करने से पूर्व संयंत्र को नुकसान के कारण था। समय वृद्धि, परिहार्य अतिरिक्त व्यय, प्रतिस्थापित उच्च दरों पर निर्माण कार्य हेतु भुगतान करने, संविदाकार से अवसूली/अल्प वसूली तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रमात्रा के अल्प प्रावधान होने के फलस्वरूप लागत में वृद्धि हुई।

परियोजना की स्टेज-I, ₹ 478.02 करोड़ (डी.पी.आर.) लागत के प्रति ₹ 789.84 करोड़ में पूर्ण की गई जिससे ₹ 311.82 करोड़ की लागत वृद्धि हुई। अतः स्टेज-I की पूर्णता तक प्रति यूनिट उत्पादन लागत ₹ 2.20 प्रति यूनिट के प्रचलित बिक्री दर के प्रति ₹ 2.85 से ₹ 4.78 प्रति यूनिट तक बढ़ गई थी। परियोजना की स्टेज-II एवं स्टेज-III अब जनवरी 2021 में पूर्ण की जानी निर्धारित की गई है तथा पूर्णता पर उत्पादन लागत में और वृद्धि होने की सम्भावना है।

भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त एशियन विकास बैंक ऋण जो 90 *प्रतिशत* अनुदान (₹ 498.99 करोड़) एवं 10 *प्रतिशत* ऋण (₹ 55.44 करोड़) के रूप में था को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 100 *प्रतिशत* ऋण में परिवर्तित कर दिया गया जिससे परियोजना लागत पर ₹ 152.83 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 651.82 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

(परिच्छेद 2.7.1, 2.7.2, 2.8 तथा 2.10)

3. लेन-देन की लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत आपूर्ति कोड, 2009 के सम्बन्ध में ₹ 5.06 करोड़ के निश्चित मांग प्रभार माफ किये थे।

(परिच्छेद 3.1)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा विभिन्न फील्ड इकाइयों से प्राप्त मासिक लेखों की कम्पनी के मुख्य बैंक खाते के साथ अनिवार्य मैनुएल मिलान का संचालन करने अथवा एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. मोड के माध्यम से प्राप्त भुगतानों का स्व-चालित मिलान करने हेतु इसके सिस्टमों में मॉड्यूल डिजाइन करने में विलम्ब से उपभोक्ता निधियों के अंतरण के संबंध में झूठी रसीदें उत्पन्न करने में सक्षम हुआ जिनको पकड़ा नहीं गया, परिणामतः ₹ 5.36 करोड़ की हानि हुई।

(परिच्छेद 3.2)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने गलत ढंग से एक बल्क आपूर्ति उपभोक्ता को वाणिज्यिक वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 30.76 लाख की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 3.3)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने एक मामले में बिल राशि के भुगतान की समय पर निगरानी नहीं की थी और अस्थायी कटौती आदेश जारी करने में 25 महीने लिये थे और तब तक उपभोक्ता से वसूली योग्य विद्युत प्रभारों की राशि ₹ 1.62 करोड़ तक बढ़ गई थी।

(परिच्छेद 3.4)

अपने बिक्री सर्कुलर की गलत प्रयोज्ता तथा एक ही परिसर में दो भिन्न कनेक्शन जारी करने के द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने एक उपभोक्ता पर लोअर वॉल्टेज आपूर्ति सरचार्ज के आधार पर ₹ 25.58 लाख तथा एच.टी.-2 श्रेणी पर लागू योग्य उच्च दर सूची के आधार पर ₹ 16.22 लाख का बिल नही लगाया था।

(परिच्छेद 3.5)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा संशोधित वेतन तथा भत्तों के लाभ वापिस लेते हुए ब्याज के रूप में भुगतान किये गये ₹ 37.05 लाख के वित्तीय लाभ का आहरण नहीं किया।

(परिच्छेद 3.6)

विद्युत के संस्वीकृत भार की तुलना में अधिक आहरण को पकड़ने का तंत्र विद्यमान न होने के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित को ₹ 36.78 लाख की राजस्व हानि हुई।

(परिच्छेद 3.7)

हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित को सेब जूस मिश्रण/सेब रस के कम उत्पादन, सेब के खराब होने, ईंधन की अधिक खपत तथा वितरक को कमीशन के भुगतान के कारण बाजार हस्तक्षेप स्कीम के क्रियान्वयन पर ₹ 2.61 करोड़ की हानि होने के अतिरिक्त बागवानों को समय पर भुगतान जारी न करने से इसके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।

(परिच्छेद 3.8)

मूल अनुबंध में सम्मिलित चरणवार भुगतान सूची को अग्रवर्ती करने के बाद संविदाकार के साथ हुए पूरक अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ₹ 15.54 करोड़ ब्याज की वसूली के लिए कोई कार्यवाही न करके हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित ने संविदाकार को अनुचित लाभ पहुंचाया।

(परिच्छेद 3.9)

हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित ने एक अपूर्ण संचार लाईन का उपयोग किया और अपेक्षित क्लीयरेंस प्राप्त करने के लिए संविदाकार को ₹ 0.78 करोड़ का भुगतान करना पड़ा।

(परिच्छेद 3.10)

हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित ने स्वीकृति पत्र के निबंधनों व शर्तों में अनुवर्ती संशोधन के द्वारा एक संविदाकार को ₹ 49.87 लाख मूल्य वर्द्धित कर का भुगतान किया।

(परिच्छेद 3.11)

यात्री आरक्षण प्रणाली केन्द्रों के सशक्तीकरण के लिए अनुबंध करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं से सेवा प्रभारों की वसूली के लिए निबंधनों व शर्तों को परिभाषित करने में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित की विफलता से ₹ 18.87 लाख की हानि हुई।

(परिच्छेद 3.12)

दिल्ली-शिमला व दिल्ली-मनाली मार्ग पर चलने वाली लक्जरी वातानुकूलित बसों के किराए के संशोधन में विलंब के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित को ₹ 0.98 करोड़ के राजस्व की संभावित हानि हुई।

(परिच्छेद 3.13)